तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा
प्रकरण संख्या–123/2025
उनवान भीमराज बनाम बलजिन्दर कौर

8/5/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा पत्थर गढ़ी किए जाने में सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे की अन्य कृषि आराजीयात के साथ खसरा नं0 686 रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम दसलाना पटवार हल्का दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उउक्त कृषि आराजी के समीपस्थ ख०नं० 950/858 पश्चिमी रकबा 0.4750 है० भूमि स्थित है जो पूर्व में प्रार्थीगण की उक्त आराजी का भाग थी। उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसकी देखरेख व कृषि कार्य प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के पति करते हैं। प्रार्थीगण के खाते की उपरोक्त वर्णित आराजी व प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के खाते दर्ज उपरोक्त वर्णित आराजी के मध्य पूर्व से मेड स्थित चली आ रही है एवं राजस्व रेकार्ड के नक्शे में भी तरमीम हो रही है तथा उसी अनुरूप प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 अपने अपने खाते दर्ज आराजी पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिपक्षी संख्या 3 फोरमल पक्षकार होने की वजह से उनको पक्षकार संख्या 3 के रूप में संयोजित किया गया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 ने उनके खाते की उक्त आराजी को खाली छोड रखा है, प्रार्थीगण अपने खाते दर्ज उक्त आराजी पर कृषि कार्य करते हैं। वर्तमान में प्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर लहसुन व गेहूं की फसल कर रखी है इसलिये प्रार्थीगण अपनी मेड पर पशुओ से अपनी फसल का बचाव करने के उद्देश्य से तारफैन्सिग करना चाहते है किन्तु प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 तथा उनके पति जो कि लडाकू प्रवृत्ति के है। प्रार्थीगण से सीमाओ को लेकर विवाद करते है तथा तारफैन्सिंग नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी संख्या 3 के यहां आवेदन किया लेकिन उनके द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है इसलिये प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। उक्त अराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी नहीं होने से अपनी कृषि कार्य करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीगण की रेकार्डेड खातेदारी की कृषि आराजी 686 रकबा 1.57 है0 आराजी की पैमायश व सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के रेकार्डेड खातेदारी की कृषि आराजी ख०नं0 686 रकबा 1.57 हैक्टर वाके ग्राम दसलाना पटवार हल्का दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज० में स्थित आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण नोटिस जर्ये रजिस्टर्ड ए0डी0 प्रेषित कर तलब किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नं0 950/858 तथा खसरा नं0 686 के मध्य स्थित मेड को लेकर उपरोक्त खातेदारों के मध्य विवाद चल रहा है।

अप्रार्थी की और से पत्थरगढ़ी किए जाने मे कोई आपत्ति नही होना एवम पत्थरगढ़ी किए जाने मे सहमति व्यक्त की है। प्रार्थना पत्र एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण में प्रथम दृष्टया सीमा–विवादों का होना जाहिर होता हैं जिसका समाधान बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी से ही किया जा सकता हैं ताकि मौंके की शांति–व्यवस्था बनी रहें। अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि ग्राम दसलाना पटवार हल्का दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा–राज० में स्थित कृषि आराजी ख०नं0 686 रकबा 1.57 हैक्टर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक: 8/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा